

न्यायालय जिला कलक्टर (आरबीट्रेटर), सीकर  
पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 49/2012/ प्रा. पत्र माध्यस्थम्

मातादीन पुत्र चौथुराम, जाति मीणा, निवासी सरगोट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर  
राज.।

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी/उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई रींगस जरिये परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पी. आई. यू. सीकर, प्लॉट नं. 187-188, विनायक विहार, पिपराली सर्किल, झुन्झुनू बाईपास, सीकर राजस्थान।

उपस्थित:-

- (1) श्री भागीरथ सिंह कुड़ी, वकील प्रार्थी की ओर से।
- (2) श्री दीपक शर्मा, वकील अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से।

प्रार्थना पत्र माध्यस्थम् अन्तर्गत धारा 3जी(5), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं धारा 24(2) एवं धारा 64 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 विरुद्ध अवादा आदेश सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) श्रीमाधोपुर, दिनांक 23.03.2011

**निर्णय**

सुनवाई तिथि: 12 सितम्बर, 2019

निर्णय दिनांक: 19 सितम्बर, 2019

1. प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री भागीरथ सिंह कुड़ी द्वारा सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर) सीकर के आदेश दिनांक 23.03.2011 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 24(2) एवं धारा 64 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत प्रस्तुत की किया गया है।
2. प्रार्थी द्वारा प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया गया है:-

- (1) प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 1874/2 ग्राम परसरामपुरा में से 0.06 हैक्टेयर (600 वर्गमीटर) भूमि को बरानी उपयोग की मानकर 287.72/- रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से भूमि की कुल कीमत 1,72,633/- रुपये एवं एकट की



जिला कलक्टर, सीकर

धारा 3जी के नियम के अनुसार 10 प्रतिशत (भूमि की मूल राशि का) 17,263/- रूपये कुल 1,89,897/- रूपये का अवार्ड पारित किया गया। जबकि धारा 3ए की अधिसूचना के समय प्रार्थी के भूखण्ड की व्यावसायिक डी.एल.सी. दर 4538/-रूपये प्रति वर्गमीटर थी एवं मौके पर प्रचलित बाजार दर इस व्यावसायिक डी.एल.सी. दर से तीन गुणा अधिक करीब 15,000/-रूपये प्रतिवर्गमीटर होने के बावजूद भी केवल मात्र 287.72/- रूपये बारानी डी.एल.सी. दर को ही बाजार कीमत मानकर मुआवजा निर्धारण किया गया था, जिसको संशोधित करवाते हुए बाजार में प्रचलित दर से बढ़ाया जाना विधि सम्मत है।

- (2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 23.03.2011 से 5 वर्ष की अवधि के भीतर अवार्ड राशि का भुगतान नहीं किये जाने से भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम को विलोपित कर एक सितम्बर 2015 से इस एक्ट के स्थान पर लागू होने से धारा 24(2) भूमि अर्जन अधिनियम के तहत अवार्ड आदेश दिनांक 23.03.2011 स्वतः निरस्त समझा जायेगा एवं समुचित सरकार या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को भूमि की आवश्यकता होने पर नये सिरे से भूमि अर्जन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की अवार्डशुदा भूमि का अवार्ड आदेश दिनांक 23.03.2011 को 5 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी प्रार्थी को अवार्ड की राशि का कोई भुगतान आज दिन तक नहीं किया गया है।
- (3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि 600 वर्गमीटर के आस पास के भूखण्ड भी पूर्णतया कॉमर्शियल गतिविधियों से संचालित हैं। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे पर लगती किसी भी किस्म कृषि, व्यावसायिक व अन्य का 20 फुट गहराई तक की भूमि का पंजीयन राजस्व विभाग द्वारा व्यावसायिक डी.एल.सी. दर से कम नहीं किया जाता है।
- (4) प्रार्थी अवार्ड के समय भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1874/2 में से 0.06 हैक्टेयर (600 वर्गमीटर) तन परसरामपुरा के स्वामी होकर व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं एवं भूखण्ड को व्यावसायिक उपयोग के सम्बन्ध में धारा 3सी की आपत्ति के समय सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये थे। भूमि का मौके पर व्यावसायिक उपयोग होने के सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिकृत कम्पनी द्वारा सर्वे किया गया था, जिसमें प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि को व्यावसायिक पाया था, जिनका मूल प्रतियां अप्रार्थी के कब्जे में है, जो न्यायहित में तलब करवाया जाकर अवलोकन किये जाने से प्रकरण के न्यायोचित निस्तारण में काफी सहायक सिद्ध होगी।



जिला कलक्टर, सीकर

- (6) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड नॉन स्पीकिंग होने से निरस्तनीय है जिसे पारित करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी द्वारा न तो कोई नोटिस दिया ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया जो कि न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि पर नियमानुसार 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर भी अवार्ड की राशि पर प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार कर निवेदन है कि अवार्ड आदेश दिनांक 23.03.2011 को अपास्त कर प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि खसरा नम्बर रकबा 600 वर्गमीटर का बाजार में प्रचलित दर धारा 3ए की अधिसूचना दिनांक 21.08.2009 को 15,000/-रूपये प्रतिवर्गमीटर से गणना करवाकर 600X15,000/- रूपये कुल राशि 90,00,000/- रूपये अंकेही नब्बे लाख रूपये पर नये अधिनियम की प्रथम अनुसूची के मुताबिक ग्रामीण इलाके में भूमि होने से दो से गुणा करने पर 1,80,00,000/- रूपये अंकेही एक करोड़ अस्सी लाख का अवार्ड जारी कर मुआवजा मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर धारा 3ए की अधिसूचना की दिनांक 11.08.2009 से दिलवाने की कृपा करें।

3. प्रार्थना पत्र माध्यस्थम् प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टस् को जरिये नोटिस तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री दीपक शर्मा उपस्थित आये व जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आये।
4. अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र मे अंकित किया गया है कि:-

(1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी की उपधारा 7 के भाग ए में स्पष्ट प्रावधान है कि जब भारत सरकार द्वारा धारा 3ए के तहत नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उस समय अवाप्त किये जाने वाली भूमि का जो बाजार मूल्य होगा उसी के आधार पर धारा 3जी के तहत प्राधिकृत अधिकारी मुआवजा राशि का निर्धारण करता है। 3ए की अधिसूचना दिनांक 11.08.2009 को उक्त भूमि में से रिकॉर्ड के अनुसार 0.0600 हैक्टेयर भूमि का खसरा नम्बर 1874/2 की प्रकृति बरानी सोयम व धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 12.01.2010 के अनुसार उक्त भूमि 0.0600 हैक्टेयर भूमि का खसरा नम्बर 1874/2 बरानी सोयम किस्म की बताकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि का सिंचित दर के आधार पर मुआवजा भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया, जो सक्षम प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर था। प्रार्थी उक्त भूमि को बिना अपने नाम करवाये या उद्घोषणा करवाये उक्त भूमि को जबरन मनमाने तरीके से बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के व्यावसायिक भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है।



जिला कलक्टर, सीकर

- (2) प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में जो निर्धारित दरें बताई हैं, उन सभी का सक्षम प्राधिकारी द्वारा संज्ञान लिया गया है एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत भूमि की दर मानते हुए स्पष्ट कथन किया है कि "उप पंजीयक से प्राप्त डीएलसी दरों, मौके की स्थिति, दरों की असमानता के तथ्यों, अवाप्ति से प्रभावित व्यक्तियों के कथनों का समन्वित गहन विश्लेषण एवं सामंजस्य करता हुआ नियमानुसार भूमि का मुआवजा तय करता हूँ।" उसी अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत डीएलसी दर से मुआवजा निर्धारण किया गया है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।
- (3) प्रार्थी द्वारा धारा 3ए की अधिसूचना के समय प्रचलित डीएलसी दर के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं उक्त डीएलसी दर रिकॉर्ड की विषयवस्तु है जिस पर टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि की प्रचलित बाजार दर जो डीएलसी से अत्यधिक ज्यादा बताई गई है उसका कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया है।
- (4) प्रार्थी के उक्त भूखण्ड की अवाप्ति के विरुद्ध समुचित मुआवजा अवार्ड जारी किया गया है जिसमें भूमि की किस्म, उपयोग एवं तत्समय की प्रचलित डीएलसी दर को ध्यान में रखा गया है एवं उसी के आधार पर मुआवजा अवार्ड बनाया गया है। उक्त मुआवजा अवार्ड की राशि सक्षम प्राधिकारी के खाते में जमा करवा दी गई है एवं उसी के अनुसरण में प्रार्थी की स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार उक्त भूमि गैर मुमकिन सड़क, भूतल परिवहन मंत्रालय के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई है।
- (5) धारा 3ए के तहत जो अधिसूचना भारत के राजपत्र में दिनांक 11.08.2009 को जारी की गई व जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 21.09.2009 को किया गया में इस तथ्य का उल्लेख धारा 3सी के तहत यदि कोई व्यक्ति अधिसूचना जारी करने के दिनांक से 21 दिवस के भीतर आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है तो प्राधिकृत अधिकारी धारा 3सी की उपधारा 2 के तहत सुनवाई का अवसर देकर प्राप्त आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार करेगा व धारा 3सी की उपधारा 3 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा।
- (6) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1874/2 में से 0.06 हैक्टेयर (600 वर्गमीटर) ग्राम परसरामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर अवाप्तशुदा भूमि की डीएलसी दर के मुताबिक निर्धारित की गई। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त धारा 3जी के अनुसार 10 प्रतिशत राशि शामिल की गई है, जो अब सम्पूर्ण प्रक्रिया के पश्चात भूमि अवाप्ति अधिकारी के खाते में जमा करवाई जा चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का श्रम करें।



जिला कलेक्टर, सीकर

5. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

6. प्रार्थी के योग्य अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए अभिकथन किया गया कि प्रार्थी अर्वाड के समय भूमि खसरा नम्बर 1874/2 में से 0.06 हैक्टेयर (600 वर्गमीटर) ग्राम परसरामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के स्वामी होकर व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। भूखण्ड को व्यावसायिक उपयोग के सम्बन्ध में दिनांक 16.01.2001 को वाणिज्यिक संपरिवर्तन हेतु राशि राजकोष में जमा कराने का चालान प्रस्तुत किया है एवं धारा 3सी की आपत्ति के समय सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। भूमि का मौके पर व्यावसायिक उपयोग होने के सम्बन्ध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिकृत कम्पनी द्वारा सर्वे किया गया था, जिसमें प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि को व्यावसायिक पाया था, जिसकी मूल प्रतियां NHAI के पास उपलब्ध हैं, जो न्यायहित में तलब करवाया जाकर अवलोकन किये जाने से प्रकरण के न्यायोचित निस्तारण में काफी सहायक सिद्ध होगी। प्रार्थी को पिछले आठ वर्षों से मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए प्रार्थी भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार भूमि की कीमत, निर्माण व अन्य क्षति का 100 प्रतिशत सोलिशियम सहित 24 प्रतिशत ब्याज भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार कर अर्वाड आदेश दिनांक 23.03.2011 को अपास्त कर प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि 600 वर्गमीटर का बाजार में प्रचलित दर के आधार पर एक्ट 2013 के अनुसार अर्वाड जारी कर 100 प्रतिशत सोलिशियम मय 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से दिलवाया जाना प्रार्थनीय है।

7. अप्रार्थी संख्या 2 के योग्य अभिभाषक ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि 3ए की अधिसूचना दिनांक 11.08.2009 को उक्त भूमि में से रिकॉर्ड के अनुसार 0.0600 है। भूमि का खसरा नम्बर 1874/2 में से 0.06 हैक्टेयर (600 वर्गमीटर) ग्राम परसरामपुरा की प्रकृति बारानी दायम व धारा 3डी की अधिसूचना दिनांक 12.01.2010 के अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 1874/2 में से 0.06 हैक्टेयर (600 वर्गमीटर) ग्राम परसरामपुरा बारानी दायम किस्म की मानकर मुआवजा निर्धारित किया है। प्रार्थी भूमि का मुआवजा उक्त भूमि के उपयोग के अनुसार व्यावसायिक उपयोग की भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित करवाकर उक्त भूमि को बिना अपने नाम करवाये या उद्घोषणा करवाये उक्त भूमि को जबरन मनमाने तरीके से बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अधिक मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त सर्वे रिपोर्ट का विधिवत निरीक्षण कर समस्त आपत्तियों पर सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये जाने के पश्चात अर्वाड आदेश नियमानुसार पास किया गया है। इसलिए प्रार्थी व्यावसायिक दर से मुआवजा पाने का हकदार नहीं है। अधिसूचना धारा 3ए के समय व पूर्व में भूमि जिस रूप में उपयोग व राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है, उसी के अनुसार अर्वाड पारित किया गया है जो पूर्णतया सही और दुरुस्त है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र जिस अधिनियम के तहत पेश किया गया है वह अधिनियम 2013 का है



जिला कलक्टर, सीकर

जो अवाप्ति के समय प्रभावी ही नहीं था। अतः प्रा. पत्र माध्यस्थम् खारिज फरमाने का श्रम करें।

8. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत राजमार्ग हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि का राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवरण प्रकाशित किया जाता है। इसके तहत 21 दिन में आपत्तियों प्राप्त कर उनके निस्तारण का प्रावधान है, इसके पश्चात 3डी का निर्णय हो जाने पर 3जी के तहत अवार्ड आदेश पारित किया जाता है।

(2) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 को चौड़ा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत दिनांक 11.08.2009 को अधिसूचना जारी की गई। जिसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 21.09.2009 को प्रकाशित की गई। इसके पश्चात 3-डी की अधिसूचना दिनांक 12.01.2010 को जारी की गई।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत दिनांक 11.08.2009 को, धारा 3डी के तहत दिनांक 12.01.2010 को जो अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार प्रा. पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1874/2 बारानी सोयम वाकै ग्राम परसरामपुरा अवाप्त की गई है।

(4) धारा 3जी के मुताबिक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवार्ड आदेश दिनांक 23.03.2011 भूमि खसरा नम्बर 1874/2 रकबा 0.0600 है। भूमि स्वामी मातादीन पुत्र चौथु राम, जाति मीणा, भूमि की किस्म बारानी सोयम दर 2877224/- रुपये प्रति हैक्टेयर कृषि से कुल 1,89,897/- रुपये का अवार्ड आदेश जारी किया गया है।

(5) मुताबिक जमाबन्दी ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का सरगोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर सम्वत् 2074 से 2077 तक खसरा नम्बर 1874/2 रकबा 0.1900 हैक्टेयर भूमि की किस्म बारानी मातादीन पुत्र चौथुराम के नाम दर्ज है

(6) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा श्रीमाधोपुर (सीकर) का रकम जमा कराने का चालान क्रमांक 818 दिनांक 16.01.2001 के अनुसार मातादीन पुत्र चौथुराम जाति मीणा निवासी सरगोट द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर की तरफ से ग्राम सरगोट की भूमि खसरा नम्बर 1874 रकबा 1.48 हैक्टेयर में से 2450 वर्गमीटर भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपररवर्तन शुल्क राशि 4900/- रुपये जमा करवाये गये हैं।




जिला कलक्टर, सीकर

(7) भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) श्रीमाधोपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 11.02.2014 में अंकित है कि उक्त भूमि वर्तमान में खाली है। उक्त भूमि की प्रचलित बाजार दर वर्ष 2009 में 1800000/- रुपये प्रति बीघा व डी.एल.सी. दर 8,73,200/- रुपये प्रति बीघा है। उक्त भूमि का वास्तविक कब्जेदार एवं विधिक स्वामी मातादीन मीणा पुत्र चौथुराम मीणा निवासी सरगोठ है।

(10) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र दिनांक 03.02.2016 के बिन्दु संख्या 3 में अंकित है कि:-" it is, therefore, seen from the legal opinion accepted by the Ministry that wherever award of compensation under section 3G of NH Act, 1956 was declared by CAIA on or before 31.12.2014 but compensation in respect of majority of the land area notified in the relevant 3A notification was not deposited in the accounts of the beneficiaries on or before 31.12.2014, then, all the beneficiaries shall be entitled to compensation in accordance with the provisions of RFCTLARR Act, 2013."

9. उपरोक्त पैरा संख्या 8 के बिन्दु संख्या 7, 8, 9, 10 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट मातादीन मीणा पुत्र चौथुराम की अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 1874/2 रकबा 0.06 हैक्टेयर वाकै ग्राम परसरामपुरा का मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो प्रार्थी भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत मुआवजा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन शुल्क दिनांक 16.01.2001 को जमा करवाया जा चुका है, जिसकी पुष्टि भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) श्रीमाधोपुर द्वारा भी की गई है। अतः प्रा. पत्र माध्यस्थम् स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के अवार्ड का पुनः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारण करें एवं अधिनियम लागू होने के तीन माह पश्चात से 9 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करें।

10. निर्णय आज दिनांक: 19 सितम्बर, 2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सी.आर. मीना)

जिला कलक्टर, सीकर  
जिला कलक्टर, सीकर